

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 51/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 27 सितंबर, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) का धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनाथ उपयुक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसों के संबंध में उपयुक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कतव्यों के निवहन हेतु एतद द्वारा उपयुक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र.	नोटिसों का नाम एवं	सं. नि.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	न्यायनिर्णयन प्रा. नि.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै इट्स माइ नेम प्रा. लिम., C-1, 2, 3, 10 ^{वां} तल, पीपी टावर, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा नई दिल्ली-110034 और 12 अन्य.	फ़ा. सं. DRI/HQ-GI/338/VII/Enq-2/Int-Nil/2019 दिनांक 26.09.2019.	आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), न्यू कस्टम हाउस, आईजीआई एयरपोर्ट के निकट, नई दिल्ली. अपर आयुक्त सीमाशुल्क (एयरपोर्ट एवं जनरल), आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली.

			प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), न्यू कस्टम हाउस, आईजीआई एयरपोर्ट के निकट, नई दिल्ली।	
--	--	--	--	--

[. . DRI/HQ-CI/50D/CAA-40/2019-CI]

(श्री)
f

प्रतिर्लाप सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. अपर महानिदेशक (न्याय निणयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली
2. अपर निदेशक, जीआई, राजस्व आसूचना निदेशालय (मुख्यालय), नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ कि वे कारण बताओ नोटिस के नोटिसियाँ को समान न्याय निणयन अधिकारी को नियुक्ति के बारे में सूचित कर। यह भी निवेदन है कि वे केस फाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस को अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निणयन अधिकारी को भेज दे